बालक कल्याण समिति

एक

संक्षिप्त परिचय

संपादिका

डॉ. श्रुति खरे
बाल संरक्षण विशेषज्ञ
राजनांदगांव (छ.ग.)
मो. नं. – 9406329982

Scanned with CamScanner

बाल कल्याण समिति

धारायें 27 बाल कल्याण समिति

1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यो का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी.
2. समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होगें जिनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा.
3. जिला बालक संरक्षण एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारी–व्रकृद उपलब्ध कराएगा जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालयिक सहायता के लिए अपेक्षित हों.
4. समिति के सदस्य के रूप में उन्हीं व्यक्ति की नियुक्ति होगी. जिन्होने बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थय या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण किया हो और जब तक ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थय, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सात वर्षो से सकिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनो विज्ञान या मनोरोग या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थय या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांग जन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत् वृतिक न हो.

Scanned with CamScanner

बालकों की केयर और सुरक्षा से संबंधित नियम 2015
(क. 2 सन् 2016)
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम 2021 (क. 23 सन् 2021)

नियम 31

1 कमेटी के पास ऐसे बालकों को कौन भेजेगा ?

कोई भी पुलिस अधिकारी अपचारी पुलिस अधिकारी या शासन द्वारा नियुक्ति ऐसा कोई भी अधिकारी या किसी भी विधि के अंतर्गत कुछ समय के लिये नियुक्ति व्यक्ति के द्वारा भी ऐसे बालक को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

2 किसी भी सरकारी नौकर के द्वारा

3 किसी भी निजी संस्था के द्वारा जो शासन के द्वारा मान्य हो

4 बालक कल्याण अधिकारी के द्वारा

5 किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अथवा जनता के मुखिया के द्वारा

6 बालक स्वयं कमेटी के पास जा सकता हैं

7 किसी भी नर्स डाक्टर आदि के द्वारा जो चाहे शासकीय या अशासकीय हो

नोट– बालक को चौबीस घंटे के भीतर कमेटी को सौंप दें यात्रा का समय अलग रहेगा इन्क्वायरी का प्रतिवेदन जमा करने के लिये शासन नियम बना सकता है उस अवधि मे उसे जमा करना होगा ।

Scanned with CamScanner

धारायें 32 – अगर बालक अपने माता पिता से अलग पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा की जाये वह भी चौबीस घंटे के भीतर यात्रा का समय अतिरिक्त रहेगा।

धारायें 33 – यदि बालक को नियत समय के भीतर कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह कार्य अपराध की श्रेणीं मे आयेगा।

धारायें 34 – नियत समय के भीतर बालक को कमेटी के सामने न प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी को 6 माह तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों एक साथ ।

धारायें 35 – यदि कोइ निर्धन या शारीरिक मानसिक दष्टि से कमजोर अभिभावक अपने बालक को कमेटी सौंपना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है

पूछताछ या परामर्श देने के बाद यदि कमेटी संतुष्ट हो जाती है तो ऐसे अभिभावक सौंपनामा पर समिति के सामने हस्ताक्षर करेगें ।

सौपने के पहले ऐसे अभिभावको को दो माह का समय दिया जायेगा कि वे अपने निर्णय पर फिर से विचार कर लें।

पूछताछ के ऐसे प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों के भीतर कमेटी के पास आ जाना चाहिये और समिति को अपना अंतिम निर्णय चार माह की अवधि में दें देना चाहिए।

यदि बालक 6 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे विशेष अडाप्शन एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

पूछताछ के बाद समिति संतुष्ट होने के बाद बालक को विशेष दत्तक या अडाप्शन एजेंसी के पास भेज सकती है या अपने घर अथवा अन्यत्र जगह 18 वर्ष की उम्र होने तक । कमेटी अपने निर्णय पर फिर से विचार भी कर सकती है और ऐसा निर्णय ले सकती है जो कि बालक के उज्ज्वल भविष्य से संबंधित हो ।

4 पेंडिग केसों के संबंध मे समिति हर तीसरे माह में अपना प्रतिवेदन जिला जज के पास भेजेगीं पेंडिंग केसो के संबंध में जिला जज मार्ग दर्शन करेगा। यदि मार्गदर्शन के बाद भी तीन माह से अधिक समय तक कोई केस लंबित रहता है तो जिला जज ऐसी समिति को भंग कर सकता है और नयी समिति गठन करने का आदेश दे सकता हैं। नयी समिति गठन की अवधि मे राज्य शासन एक स्टेंडिंग पेनल बना सकता है जो समिति के स्थान पर कार्य करेगा

धारायें 37 – केयर और प्रोटेक्शन के संबंध में आडर पास करते समय

1. समिति यह निर्णय देगी कि उसे केयर और सुरक्षा की आवश्यकता है
2. बालक को अपने माता पिता अभिभावक या बालक कल्याण अधिकारी की सुरक्षा में भेज सकती हैं
3. बालक को जहां भेजा जा रहा है समिति उस संस्था की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देगी कि वहां बालक सुरक्षित रहेगा या नहीं.
4. यह भी देखा जायेगा कि बालक को वहां थोडे समय के लिये भेजा रहा है या अधिक समय के लिए
5. फोस्टर केयर का निर्णय धारा 44 के अंतर्गत लिया जायेगा

Scanned with CamScanner

6. स्पोन्सरशिप का निर्णय धारा 45 के अंतर्गत लिया जायेगा
7. बालक जहां भेजा जा रहा है वहां मडिकल परामर्श शिक्षा आदि की व्यवस्थायें होनी चाहिऐ
8. 18 वर्ष के बाद जब बच्चा वापस संस्था से आता है तो उसे अपने पैरो पर खड़े होने के संसाधन दिये जाने चाहिये ताकि वह सामान्य जीवन कर सके ।

धारायें 43 – ओपन सेल्टर

शासन द्वारा पंजीकृत होंना चाहिए। ऐसी संस्थाये बालक को शिक्षा, कौशल आदि की भी व्यवस्था करेंगी जिससे वहां से जाने के बाद बालक अपने पैरों पर खडे रह सके। ऐसी संस्थायें वहां रह रहे बालको के संबंध में समिति को मासिक प्रतिवेदन भेजेगी कि बच्चो की केयर की जा रही है औरं वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

धारायें 44 – फोस्टर केयर

समिति समय के लिये बालको को फोस्टर केयर होम में भी भेजा जा सकता है । ऐसे परिवारों का चयन उनमे उपलब्ध सुविधाओ के आध ार पर किया जायेगा, ऐसे लोगों को बालको को सुरक्षित रखने का अनुभव भी होना चाहिऐ. राज्य शासन ऐसी संस्था को बालको की संख्या के आधार पर निर्धारित धनराशि का अनुदान भी देती है। निर्धन अभिभावक जो अपने बालक को देखने के लिये फोस्टर केयर करने मे असमर्थ है वे अपने बालक को देखने के लिये फोस्टर केयर ऐजेंसी एक नियत समय के वाद जा संकते है और वे संतुष्ट हैं तो ठीकं है अथवा वे कहते है कि अपने बच्चो की केयर करने की स्थिति में है तो बालक उन्हें सौंपा जा सकता है। फोरस्टर परिवार हर दृष्टि से बालक का पालन पोषण करने, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने के लिऐ उत्तरदायी होगा ।

Scanned with CamScanner

इस संबंध में शासन वे नियम बना सकती है जिनके आधार पर फोस्टर घरों में बच्चो को रखा जाये । समिति हर माह में ऐसे फोस्टर घरों में जाकर बच्चो से मिलेगी और उनके पालन पोषण , शिक्षा आदि के संबंध में जानकारी लेगी । अडाप्टर योग्य बच्चो को लंबे समय तक फोस्टर केयर में न रखा जाये।

धारायें 45 – स्पोन्सरशिप

43 राज्य शासन इस संबंध में नियम बनायेंगी कि कौन स्पोन्सरशिप कर सकेगा

1. वह मां जो विघिवा हो, तलाकशुदा हो या परिवार के द्वारा निकाल दी गई हो ।
2. जो बच्चा आरफन हो और किसी परिवार के साथ रह रहा हो
3. जो पालक किसी गंभीर बीमारी से पीडित हो
4. जिसके माता पिता गंभीर दुर्घटना के शिकार हो और आर्थिक दृष्टि से बच्चो की सुरक्षा करने में असमर्थ हों ।
5. स्पान्सरशिप लेनेवाले परिवार को शासन द्वारा बच्चो की केयर के लिए आर्थिक मदद दी जाती है जिससे उनका जीवन गुणात्मक ढंग से विकसित हो सके ।
6. 18 वर्ष पूरे होने पर बच्चा ऐसे संस्थान छोड देगा और उसे अपने पैरो पर खडे होने के लिऐ राज्य शासन द्वारा उसके पुर्नवास हेतु आर्थिक सहयोग दिया जायेगा.

धारायें 47 – आबजरवेशन होम्स

पूछताछ आदि यदि पेंडिग हो तो ऐसे बालकों के लिए राज्य शासन आवजरवेशन होम्स भी बनायेगा जहां बालक कुछ दिनों के लिए रखा जा सकता है. ऐसे होम्स निजी भी हो सकते है और शासकीय भी. इन घरों का

Scanned with CamScanner

कार्य व्यवस्था करना और निरीक्षण करना होगा. अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो बालक को वहां से पृथक किया जा सकता है. आवजरवेशन घरों में उम्र के अनुसार बालक बालिकाओं को अलग–अलग रखा जायेगा, उनका अपराध किस कोटि का है उसे भी ध्यान में रखा जायेगा.

धारायें 48 – स्पेशल होम्स

न्याय के लिए ऐसे बालकों के लिए राज्य शासन शासकीय या निजी स्पेशल होम्स भी बना सकती है ये जिले स्तर पर होंगे और ऐसे बालकों के लिए पुनर्वास में सहयोग प्रदान करेगें. ऐसी संस्थाओं के द्वारा बालकों को अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायेगी. नियमों के निर्माण के समय बालकों की उम्र और उनके लिंग आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा.

धारायें 49 – प्लेस आफ सेफटी

राज्य शासन कम से कम प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्थान निर्मित करेगा जहां 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के पुनर्वास के पहले रखा जा सके. अथवा जन बालकों की उम्र 16 से 18 वर्ष के मध्य है इनमें बालकों के रहने के लिए स्वतंत्र और सुविधापूर्ण व्यवस्था होगी.

धारायें 50 – चिल्ड्रन होम

प्रत्येक जिले में शासन की ओर से या निजी पंजीकृत संस्थाओ में उन बालकों को रखा जायेगा जिन्हे विशेष रूप से सुरक्षा, चिकित्सा की आवश्यकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास, पुनर्वास आदि की आवश्यकता हो. इनमें विशेष रूप से आवश्यक सुविधाओं कि व्यवस्था रहेगी. राज्य

Scanned with CamScanner

शासन ऐसी संस्थाओं में मानीटरिंग आदि की भी विशेष व्यवस्था रखेगी, जिससे हर बच्चे का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जा सके.

धारायें 51 – फिट फेसेलिटि

कमेटी पूछताछ के बाद ऐसी विशेष सुविधाओं के संबंध में जानकारी देगी जिससे हर बालक का व्यक्तिगत रूप से विकास हो सके और किसी की उपेक्षा न कि जा सके. यह बोर्ड ऐसी सुविधायें किसी बालक के संबंध में निरस्त भी कर सकता है. कारण लिपिबद्ध होने चाहिए.

धारायें 52 – फिट पर्सन

केयर, सुरक्षा, चिकित्सा, मार्गदर्शक आदि की व्यवस्था देने के लिए फिट पर्सन के संबंध में कमेंटी अपना निर्णय आवश्यक पूछताछ करने के बाद देगी. वह आवश्यक परिक्षण करने के बाद किसी भी बालक का प्रदत्त सुविधाओं को वापस भी ले सकती है. कारणों को लिपिबद्ध करना आवश्यक होगा.

धारायें 24 – स्पोन्सरशिप

राज्य शासन के अनुसार इस कार्यक्रम में निम्न शामिल हो सकते हैं –

1. व्यक्तिगत से व्यक्तिगत.
2. समूह स्पोन्सरशिप
3. समाज स्पोन्सरशिप
4. स्पोन्सरहशिप के द्वारा किसी परिवार की सहायता करना और

Scanned with CamScanner

5. बालक होम्स और स्पेशल होम्स की सहायता करना

यह कार्यक्रम जिला स्तरीय बालक प्रोटेक्शन और केयर संस्था के द्वारा चलाया जायेगा जिसमें कुछ व्यक्ति या परिवार रहेगें या वे संस्थाये जो बालक केयर से संबंधित है कृपया इस पेनल में शिक्षा, मेडिकल सहायता, पोषण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल होगे. इस तरह का पेनल तैयार कर जिला स्तरीय समिति उसे कमेटी अथवा बालकों के कोर्ट के पास भेजेगी, आवेदक संस्था या व्यक्ति के घर जाकर सुविधाओं को देखेगी इसके बाद फार्म 36 में वहां बालकों को भेजने का आदेश पारित करेगी. व्यक्तिगत स्पोन्सरशिप के संबंध में माता के नाम पर बैंक में बच्चे के नाम से खाता खोला जायेगा ताकि उसका प्रशिक्षण आदि का कार्य समुचित ढ़ग से हो सके. इस स्पोन्सरशिप की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही हो सकती.

धारायें 25 – स्पोन्सरशिप संस्था छोडने के बाद बालकों की केयर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जो बालक केयर संस्थाये छोड़कर बाहर आते हे उनके कल्याण के लिए राज्य शासन कार्यक्रम बनायेगी ताकि उनका पुनर्वास हो सके. केयर संस्था छोड़ने के बाद बालक को 21 वर्ष की उम्र तक सहायता दी जा सकेगी विशेष स्थितियों में उसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है.

धारायें 26 – जिला स्तरीय केयर समिति जिला में उपलब्ध बालकों को केयर और सुरक्षा देने वाली संस्थाओं की सूची बनायेगा और उनका अपने पास रिकार्ड रखेगा. बालक प्रोवेशन अधिकारी या बोर्ड या कमेटी किसी बालक की उम्र 18 वर्ष होने के दो माह के दो माह पहले सूची तैयार करेगा. और यह तय करेगा कि अब उसे कहां भेजा जा सकता है. राज्य शासन ऐसे बच्चों की केयर के लिए अनुदान देगा जो सीधे उसके खाते में जमा होगा.

Scanned with CamScanner

आफ्टर केयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल मुद्दे –

अस्थायी रूप से 6 से आठ व्यक्तियों के लिए किराये के मकान की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कि लिए स्टाइपेन्ड या छात्रवृत्ति उस समय तक के लिए जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं कर लेता, या उसकी जीविका का प्रबंध नहीं हो जाता अथवा उच्च शिक्षा पूरी नहीं हो जाती.

- राष्ट्रीय कौशल विकास या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं में एसे प्रशिक्षण की सुविधा दी जा सकती हैं.

- कठिनाइयों का सुलझाने के लिए उसे एक मार्गदर्शक की सुविधा भी दी जायेगी.

- उस निर्माणपरक कार्योकी ओर प्रेरित करने के लिए भी प्रयत्न किये जा सकते हैं

- प्रशिक्षण के बाद एसे लोन या अनुदान भी दिया जा सकता है.

Scanned with CamScanner